

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/80/2019

प्रवेश तिथि
22-08-2019

निर्णय दिनांक
08-01-2020

01- छुटमल पुत्र चांदसिंह जाति मेव निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

-अपीलांट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

-रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 08.03.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 34/2019

उपस्थित:-

01-श्री सब्बीर खां

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 08.03.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम जहानपुर की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 2.07 है0 में से 1.02 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ने सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जहानपुर की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 2.07 है0 में से 1.02 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट को सजा व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 08.03.2019 के विरुद्ध दिनांक 22.08.2019 को पेश किया। जो करीब 05 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 22.08.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलांट को सजा के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08-01-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)